सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3042

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक

3042. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 से 2025 तक पूर्ण हो चुके भारतमाला और स्वर्णिम चतुर्भुज खंडों पर गंभीर दुर्घटनाओं, मृत्यु दर और चिन्हित किए गए ब्लैकस्पॉट्स के राजमार्गों से संबंधित आँकड़े क्या हैं;

(ख) रखरखाव समय-सारिणी के अनुपालन की स्थिति क्या है और सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले ठेकेदारों पर लगाई गईं या प्रस्तावित शास्तियां क्या हैं; और

(ग) दुर्घटना-प्रवण खंडों पर राजमार्ग एम्बुलेंस सेवाओं और वास्तविक समय खतरा चेतावनी प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए क्या नई नीतियाँ अपनाई गई हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) पोर्टल देश भर के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, 2023 से 2025 (जून, 2025 तक) तक की अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की कुल संख्या निम्नानुसार है।

वर्ष	**सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या**	**सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों की संख्या**
2023	1,23,955	53,630
2024	1,25,873	53,090
2025 (जून, 2025 तक)	67,933	29,018

सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के आधार पर ब्लैक स्पॉट चिह्नित करती है। ब्लैक स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 500 मीटर लंबे उस क्षेत्र को कहते हैं, जहां:

- पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (संयुक्त) में पांच या अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें मृत्यु या गंभीर चोटें आई हैं या उसी अवधि के दौरान दस या अधिक मौतें हुई हैं।

सरकार स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार के सुधारात्मक उपाय करती है।

- अल्पकालिक उपायों में सड़क चिह्नांकन, संकेतक लगाना, क्रैश बैरियर, उभरे हुए फुटपाथ चिह्नक (मार्कर), डिलिनिएटर, मीडियन में प्रवेश बंद करना और यातायात नियंत्रण उपाय शामिल हैं।
- दीर्घकालिक उपायों में ज्यामितीय सुधार, जंक्शन का पुनः डिज़ाइन, कैरिजवे का चौड़ीकरण और अंडरपास या ओवरपास का निर्माण शामिल है।

2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 और 2020-2022 की श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क की उप-धारा (1) में सड़क के सुरक्षा मानकों के डिजाइन या निर्माण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी भी नामित प्राधिकारी, ठेकेदार, परामर्शदाता या रियायतग्राही के लिए ऐसे डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानकों का अनुपालन करने का प्रावधान है, जैसा कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) सड़क सुरक्षा सहित राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के सभी पहलुओं के लिए मानक, दिशानिर्देश, नियमावली आदि तैयार करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मुद्दों पर नीति परिपत्र भी जारी करता है। आईआरसी के ये मानक, दिशानिर्देश, नियमावली और नीति परिपत्र सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू और बाध्यकारी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए डिज़ाइन और रेखाचित्रों (ड्रॉइंग) का सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। ठेकेदार/रियायतग्राही, निर्माण अवधि के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करता है, ताकि यातायात और निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है। अनुबंधों में, ठेकेदार/रियायतग्राही या प्राधिकरण के अभियंता /स्वतंत्र अभियंता द्वारा की गई चूकों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

(ग) सरकार ने दुर्घटना स्थलों पर आपातकालीन सेवाओं के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ ही निम्नलिखित शामिल हैं:

i. नागरिकों की विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए एकीकृत आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ डिज़ाइन किया गया है।
ii. आपातकालीन वाहनों, जैसे एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहन आदि के लिए निर्बाध मार्ग का प्रावधान (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194ड.)।
iii. मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले नेक नागरिकों (गुड सेमेरिटन्स) का संरक्षण (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134क)।
iv. सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रावधान (केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 138(4))
v. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "आघात (ट्रॉमा) और जलने से होने वाली चोटों से रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत देश भर के सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में 196 आघात देखभाल सुविधा केंद्रों (ट्रॉमा केयर फेसिलिटिज) को स्वीकृति।
vi. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1033.
vii. आदर्श रियायतग्राही करार में गश्ती वाहनों, एम्बुलेंस, टो-अवे क्रेन आदि का प्रावधान।
viii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके गलियारों पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की है।

एनएचएआई के अधिक सघनता और उच्च गति वाले गलियारों पर नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में, एटीएमएस की संस्थापना आमतौर पर परियोजना का एक हिस्सा होती है। इसके अलावा, पहले से निर्मित महत्वपूर्ण गलियारों में एटीएमएस को एकल परियोजनाओं के रूप में भी कार्यान्वित किया जाता है। एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का प्रावधान है जिनसे राजमार्ग के विभिन्न खंड़ों पर होने वाली घटनाओं की शीघ्र पहचान करने और राजमार्गों की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिलती है, जिससे मौके पर सहायता प्रदान करने में कार्रवाई समय में सुधार होता है।

*****